

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 174/2022(GCMS : 2022/260)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री बनवारी लाल कुक्कड़, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

### बनाम

1. मैसर्स श्रीबालाजी फोटो स्टेट एण्ड स्टेशनरी जरिये प्रोपराईटर श्री पिन्टू पुत्र सोमदत्त भार्गव नजदीक कोर्ट रोड, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) निवासी वार्ड नं. 33, धाब और बाईपास रोड के नजदीक, गणेश मंदिर रोड, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री पिन्टू निवासी वार्ड नं. 33, धाब और बाईपास रोड के नजदीक, गणेश मंदिर रोड, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)



21.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स श्रीबालाजी फोटो स्टेट एण्ड स्टेशनरी -प्रो. श्री पिन्टू एवं बबली देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 8.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये आठ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 28.04.2016 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पिन्टू एवं बबली देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 393, वार्ड नं. 33(पुराना 12) (क्षेत्रफल 16'6'' गुणा 60' = 990 वर्गफुट) सामुदायिक भवन के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स बालाजी फोटो स्टेट एण्ड स्टेशनरी एवं बबली देवी को 8.80/-लाख रुपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.04.2016 को प्रदान की थी। ऋण की एवज में अप्रार्थीगण पिन्टू एवं बबली देवी ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 393,

*Am*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

वार्ड नं. 33(पुराना 12) (क्षेत्रफल 16'6" गुणा 60' = 990 वर्गफुट) सामुदायिक भवन के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.12.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.01.2022 को जारी कर, अप्रार्थीगण के स्वयं के हस्ताक्षर करवाये है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थीगण पिन्टू एवं बबली देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 393, वार्ड नं. 33(पुराना 12) (क्षेत्रफल 16'6" गुणा 60' = 990 वर्गफुट) सामुदायिक भवन के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।


जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.01.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.01.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) के नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों पिन्टू एवं बबली के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणियों पिन्टू एवं बबली द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 393, वार्ड नं. 33(पुराना 12) (क्षेत्रफल 16'6" गुणा 60' = 990 वर्गफुट) सामुदायिक भवन के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अशदीप)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर